न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चन्दगी राम झाझरिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 131/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
प्रभुराम पुत्र गोविन्दराम जाति गुर्जर निवासी लवादर तहसील डेगाना।	तहसीलदार डेगाना।	

उपस्थिति :–

1. श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 26.05.17

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 10/16 सरकार बनाम प्रभुराम में निर्णय दिनांक 22.08.2016 के तहत मौजा लवादर के खसरा नं. 197 रकबा 0.08 हैक्ट. गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.09.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 26.09.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–आदेश जैर अपील विरूद्व कानून व हालात मामला के है जो निरस्तनीय है।

2}(II)–नाप सही नहीं है स्वयं रिपोर्ट यह कहती है कि काश्त है तथा बाडो आदि से नाप में कठिनाई है। मगर सही नाप करने का प्रयास किया गया है। यह नाप रिपोर्ट स्थायी बिन्दु या स्थायी बिन्दु कायम करके नही किया है। सो नाप सही नही है। खास तौर से जब छोटे अंतर की बात हो तो वह तथ्य और महत्वपूर्ण होती है। दो बार नाप किया गया है। एक दिनांक 11.07.2016 की है तथा एक दिनांक 6.8.16 की है। दोनो में ए से बी व अन्य बिन्दुओं के नाप में भिन्नता है। जो यह जाहिर करती है कि नाप गलत है। इसके अलावा अतिक्रमण किस प्रकार है व कितना है नही बताया है। खास बात यह है कि नाप करने के बाद पूर्वी पडोस को पाबंद किया है कि वह अब आगे न बढे। यह सब यह जाहिर करता है कि अतिक्रमण मार्ग पर पूर्वी पडोसी बाबूराम ने किया है। इसके अलावा फसल व बाडो से भी सही नाप नही आ सकता जो स्वयं रिपोर्ट बोलती है। इसलिये नाप रिपोर्ट पर आधारित कोई भी आदेश गलत है।

{2}(III)–इस नाप रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय को आधारित किया है। अन्य कोई साक्ष्य नही ली है। न मौका मुआयना अधीनस्थ न्यायालय ने किया है। न अपीलांट को साक्ष्य का अवसर दिया है। सो आदेश गलत है।

{2}(IV)–खसरा नं. 224 के सभी खातेदारों को नोटिस नहीं दिया है तथा यह भूमि कई खातेदारों की है तो केवल प्रभुराम व सांवलराम के विरूद्व ही धारा 91 राज.ले.रे.एक्ट के तहत कार्यवाही की है जो गलत है। यह सभी को पक्षकार बनाकर कार्यवाही होनी चाहिये थी। वर्ना प्रभावी आदेश नही हो सकता न आदेश की पालना संभव है।

{2}(V)–ये सब होने के बाद भी अपीलांट ने नाप करने के बाद जहां उसकी सीमा बताई वहां से धौरा हटा दिया। फिर भी राजनैतिक कारणों से उन्हें तंग किया जा रहा है तथा जो मार्ग पर अतिक्रमी है। उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही कर रहे है। सो आदेश बदनियती व दुर्भावपूर्ण है।

{2}(VI)–अपीलांट ने अपना रकबा दुरूस्ती के लिये दावा सक्षम न्यायालय में कर दिया है। जिस पर कोई गौर नही किया है। सो आदेश गलत है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम लावदर में स्थित राजकीय रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस

अपर कलक्टर, नागौर

जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके लवादर के खसरा नंबर 197 रकबा 0.08 हैक्ट. गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के निवेदन पर टीम गठित कर पुनः नाप चौप करवाया गया। जिसमें भी अतिक्रमण होना पाया गया है तथा धोरा डालकर किये गये अतिक्रमण को हटा लेना, अपीलांट ने अपने अपील कथन में स्वीकार भी किया गया है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्दगी राम झाझरिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर